न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 50/2019

1 दलीप सिंह पुत्र पूर्णमल।
2 राजेश कुमार पुत्र पूर्णमल।
3 रामकरण सिंह पुत्र पूर्णमल समस्त जाति जाट निवासीगण वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 पूर्णमल पुत्र गोपाल सिंह।
2 बजरंग पुत्र पूर्ण सिंह।
3 हरलाल सिंह पुत्र पूर्णसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
4 श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत सहायक
जिलाधीश झुंझुनू दावा उनवानी पूर्णसिंह बनाम बजरंग
दावा संख्या 75/1976 दावा बाबत विभाजन निर्णय व
डिक्री दिनांकित 16.07.1977

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 75/1976 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.1977 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ने आराजी गत खसरा नम्बर 46 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 47 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 49 रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम वाहिदपुरा तहसील झुंझुनू के विभाजन के बाबत एक दावा अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट्स तथा अपनी माता मोहरी देवी के विरूद्व अदालत मातहत में किया। अदालत मातहत ने अपीलांट के उक्त दावा को बहक अपीलांट दिनांक 16.07.1977 को निर्णित कर डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 का दावा कानून से पोषणीय नही था। अदालत मातहत के समक्ष यह एक स्वीकृत स्थिति रही है कि जमीन जैर बहस रेस्पोडेंट संख्या 1 को उसके पिता गोपाल सिंह से मिली है। गोपाल सिंह की मृत्यु 1970 सन में हुई। गोपाल सिंह की मृत्यु के वक्त अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का जन्म हो चुका था। इस प्रकार जमीन जैर बहस पैतृक भूमि होना रेस्पोडेंट संख्या 1 की प्लीडिंग से साबित है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 रेस्पोडेंट संख्या 1 के पुत्र संतान होना भी स्वीकृत स्थिति रही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि पैतृक सम्पति में पिता व पुत्र का बराबर का हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

होता है। विभाजन में अपीलांट को कोई हक अधिकार नही दिया गया है जो कि एक अवैधानिकता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को हक से वंचित रखा है। इस कारण निर्णय जैर बहस खारिज होने योग्य है। दौराने दावा तथा निर्णय व डिक्री पारित होने के रोज अपीलांट्स नाबालिग रहे है। इस बाबत स्वीकृति रही है जिसका ज्ञान अदालत मातहत को हमेशा रहा है। अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 पक्षकार बनाया और अपीलांट्स का संरक्षक रेस्पोडेंट संख्या 1 पूर्णसिंह स्वंय बना और स्वंय ने अपीलांट की तरफ से गलत इकबाली जवाब दावा दिया। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 के हित समान नही थे इसके बावजूद भी अदालत मातहत इकबाली जवाब दावा को सही मानने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने आदेश 32 जा.दी के प्रावधानों को जानबुझकर नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत को दावा की प्लीडिंग को देखकर और अपीलांट्स के जमीन जैर बहस में हक अधिकार देख कर अपीलांट्स के हितों के लिये वली अदालती नियुक्त करना चाहिये था। अदालत मातहत ने गलत निर्णय व डिक्री पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने इकबाली जबाव दावा को आधार मानकर और स्वीकृति को आधार मानकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के दावा को निर्णित कर डिक्री किया है जो कि गलत है। पैतृक सम्पति में किसी का हक खत्म नही किया जा सकता। कानून की स्वीकृति नही होती है। अदालत मातहत ने कानून को नजरअंदाज कर जमीन जैर बहस में अपीलांट्स का हक खत्म किया है जिसकी कानून इजाजत नही देता है। नाबालिग के हितों के विपरित की गई स्वीकृति कानून से मानी नही जा सकती। दावा की प्रतिवादिया स. 6 मोहरी का देहान्त हो चुका है जिसका वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दावा में अपीलांट संख्या 2 का नाम गलत रूप से राजेन्द्र सिंह दर्ज किया है। जमीन जैर बहस से हाल खसरा नम्बर 103,104,105,109,110

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। उपरोक्त निर्णय व डिक्री जैर बहस अवैध व शून्य है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 1987 पेज 456,आर.आर.डी. 1994 पेज 77, आर.एल.डब्ल्यू 2007 (1) पेज 260, आर.आर. डी. 1992 पेज 17, आर.बी.जे. 1996 पेज 11 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता पूर्ण सिंह की और से अपीलांट्स को प्रतिवादी संख्या 3,4,5 संयोजित कर वाद प्रस्तुत किया गया है। इस वाद में अपीलांट के पिता द्वारा विवादित भूमि अपीलांट के दादा गोपाल सिंह की होना अर्थात पैतृक होना स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष विधि विरूद्व रूप से अपीलांट को नाबालिग दर्शाकर उनका सरंक्षक स्वंय वादी अपीलांट का पिता ही बना है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। विधि अनुसार अपीलांट का वली नियुक्त नही किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 32 नियम 1 की पालना नही की गई है।

इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 1987 पेज 456 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " **Civil Procedure Code,Order 9, Rule 13- Held, exparte decree against minor was correctly set aside where court had failed to appoint guardian ad litem under Order 32 Rule 3 - Court is bound to appoint a proper guardian ad - litem for a minor defendand.**

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर